ईज ऑफ डूइंग बिजनेस : 2018

साभार: फाइनेंसियल एक्सप्रेस

2 नवंबर, 2017

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

अगर नरेंद्र मोदी सरकार 3 प्रमुख क्षेत्रों पर अपना ध्यान केन्द्रित करने में सक्षम है, तो आने वाले वर्षों में भारत विश्व बैंक के 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' रैंकिंग में चीन से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है!

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' 2018: भारत और चीन के बीच एक तुलना अनिवार्य है, खासकर इस तथ्य के कारण कि भारत ने चीन को दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनने के लिए हमेशा टक्कर दी है। और अगर नरेंद्र मोदी सरकार 3 प्रमुख क्षेत्रों पर अपना ध्यान केंद्रित कर पाती है, तो आने वाले वर्षों में भारत विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' 2018 रैंकिंग में चाइना की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है।

भारत इस वर्ष विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' 2018 रैंकिंग भी रैंकिंग में एक आउटपरफॉर्मर बन कर उभरा है। एक 'शताब्दी' पर अंकुश लगाने के बाद, भारत ने 190 देशों में एक शोध में 100 वें स्थान पर पहुंचने के लिए 30 स्थानों पर बढ़त हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अपने व्यापार के लिए शीर्ष 50 देशों में शामिल होने के उद्देश्य पर प्रकाश डालते आए हैं और 100 वें पर पहुँचना निश्चित रूप से इनके लिए बहुत लाभदायक साबित होगा, खासकर तब जब इनकी सरकार पर आर्थिक विकास और सुधारों पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

दूसरी तरफ, चीन ने 2017 की अपनी 78वीं रैंकिंग पर स्थिति कायम रखी है। 78 और 100 के बीच का अंतर छोटा लग सकता है, लेकिन ये इतना सरल नहीं है। यह रैंकिंग काफी महत्वपूर्ण है, जिसका मतलब न केवल भारत को विश्व बैंक के 10 क्षेत्रों के कई प्रयासों में प्रयास करना है, बल्कि अन्य देशों से भी बेहतर प्रदर्शन करना है।

विश्व बैंक अंतिम रैंकिंग के साथ आने के लिए 10 पैरामीटर पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर देशों को रैंकिंग जारी करता है: अर्थात एक व्यवसाय शुरू करना, निर्माण परमिट के साथ लेनदेन करना, विद्युत प्राप्त करना, संपत्ति दर्ज करना, क्रेडिट प्राप्त करना, अल्पसंख्यक निवेशकों की रक्षा करना, करों का भुगतान करना, सीमाओं में व्यापार करना, अनुबंधों को लागू करना और दिवालियापन का निराकरण करना। जैसा कि नीचे दी गई तालिका बताती है, भारत पहले से ही 10 में से 4 पैरामीटरों में चीन से बेहतर स्थान पर है। शीर्ष 50 देशों की सूची में पहुँचने के लिए और चीन को पीछे छोड़ने के लिए , भारत को निम्नलिखित तीन क्षेत्रों पर प्राथमिकता पर ध्यान देना चाहिए:

1. **संपत्ति दर्ज करना:** चीन में संपत्ति दर्ज करने की कुल प्रक्रियाएं 4 हैं, जबकि भारत में यह 8 है अर्थात दुगुनी है। इतना ही नहीं, औसतन यह चीन में एक संपत्ति रजिस्टर करने के लिए 19.5 दिन लगती है, लेकिन भारत में 53 दिन लगते है। देखा जाये तो वर्ष 2017 में भारत की रैंकिंग 138 थी। वास्तव में 2015 के लिए, रैंक 121 था और घटकर 138 हो गयी थी। यह एक पहलू है जिसके लिए संबंधित अधिकारियों और सरकार का तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है।
2. **अनुबंध को लागू करना:** विश्व बैंक कहता है कि भारत ने राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड को शुरू करने से आसान अनुबंध लागू किया है, जिससे स्थानीय अदालतों पर केस मैनेजमेंट रिपोर्ट तैयार करना संभव है। यह सुधार दिल्ली और मुंबई दोनों पर लागू होता है। हालांकि, चीन में जो इस सूचि में 5वें स्थान पर है, उसे ठेके लागू करने के लिए सिर्फ 496 दिन लगते हैं। भारत में यह आंकड़ा 1,445 दिन है, जो काफी बुरा है।
3. **दिवालियापन का हल:** भारत ने इस पैरामीटर पर विशाल और उल्लेखनीय प्रगति की है। 136 से 103 के रैंक और इसकी 33 की छलांग को अनदेखी करना मुश्किल है। भारत ने एक नया दिवालियापन और दिवालियापन कोड अपनाया, जिससे कॉर्पोरेट देनदारों के लिए एक पुनर्गठन प्रक्रिया शुरू की गई और दिवाला कार्यवाही के दौरान देनदार के व्यवसाय की निरंतरता को सुगम बनाया। यह सुधार दिल्ली और मुंबई दोनों पर लागू होता है। चीन, हालांकि 56 पर है। उदाहरण के लिए, चीन में दिवाला को हल करने के लिए औसत 1.7 साल लगते हैं। भारत में यह समय 4.3 साल है।

एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र जिसमें भारत और चीन दोनों के बीच खराब स्थिति है, वह 'निर्माण परमिट से निपटना' है। इस साल विश्व बैंक ने प्रक्रियाओं में सुधार के लिए भारत के प्रयासों पर ध्यान दिया है। विश्व बैंक ने कहा, भारत ने ऑनलाइन सिस्टम को लागू करके एक इमारत परमिट देने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं और समय की संख्या को कम कर दिया है, जिसने नई दिल्ली के नगरपालिका और ग्रेटर मुंबई के नगरपालिका में प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया है। फिर भी, इसमें 181वां स्थान दर्शाता है कि इस क्षेत्र में व्यवसायों के सामने आने वाले मुद्दों को हल करने के लिए अभी भी बहुत कुछ करना होगा।

भारत पारंपरिक रूप से एक देश के रूप में देखा गया है जो घरेलू और विदेशी निवेशकों के लिए अनुकूल नहीं है। विनियामक बाधा और लालफीताशाही को आम समस्याओं के रूप में देखा जाता है जो प्रणाली को कमजोर बनाता है। शीर्ष 50 देशों की सूची में शामिल होने का सरकार का लक्ष्य महत्वाकांक्षी है, लेकिन उपर्युक्त क्षेत्रों पर इसके प्राथमिकताओं की सही प्राथमिकताएं प्राप्त हो सकती हैं।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस

- विश्व बैंक समूह द्वारा बनाया गया यह सूचकांक व्यावहारिक अनुसंधान (Empirical Research) पर आधारित है।
- उच्च रैंकिंग (कम संख्यात्मक मान) यह दिखाता है कि व्यवसाय करने के लिये सरल प्रक्रिया विद्यमान है और सम्पदा के अधिकारों की भी सुरक्षा की गई है।
- यह सूचकांक 10 उप-निर्देशों के औसत पर आधारित है:
  1. कारोबार शुरू करना।
  2. निर्माण अनुमति प्राप्त करना।
  3. विद्युत प्राप्त करना।
  4. संपत्ति को पंजीकृत कराना।
  5. क्रेडिट प्राप्त करना।
  6. निवेशकों की रक्षा करना।
  7. कर चुकाना।
  8. सीमापार व्यापार करना।
  9. प्रवर्तनीय कॉन्ट्रैक्ट।
  10. दिवालिएपन का समाधान करना।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस : 2018

भारत ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में एक लंबी छलांग लगाई है। साल 2017 में इस छलांग के साथ भारत 100वें पायदान पर पहुंच चुका है। आपको बता दें कि बीते साल 190 देशों की सूची में भारत 130वें पायदान पर रहा था। वहीं साल 2014 में भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में 142वें नंबर पर रहा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विश्व बैंक की रिपोर्ट के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि अब हमारा लक्ष्य टॉप 50 की पोजिशन हासिल करना है।

कारोबार करने के लिए माहौल संबंधी विश्व बैंक की रिपोर्ट पहले भी आती थी, लेकिन पूर्व की सरकारों ने कभी उसे खास तवज्जो नहीं दी। मौजूदा केंद्र सरकार ने न सिर्फ इसे तवज्जो दिया बल्कि किस तरह से इस सूची में अपनी रैंकिंग सुधारी जाए, इसको लेकर एक सोची समझी रणनीति लागू की। एक वर्ष के भीतर इस रैंकिंग में 30 अंकों की छलांग इस सोची समझी रणनीति का ही उदाहरण है। कई स्तरों पर काम किया गया।

केंद्र सरकार ने अपने स्तर पर और अपनी दूसरी एजेंसियों के जरिये कारोबार से जुड़े अवरोधों को दूर करने के लिए कदम उठाये। साथ ही मुंबई व दिल्ली के नगर निगमों के साथ मिलकर ही उन मानकों पर काम किया गया जिनकी वजह से अभी तक भारत इस रैंकिंग में फिसड्डी साबित हो रहा था।

- **कारोबार शुरू करना हुआ आसान:** केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर कारोबार शुरू करने के लिए मंजूरियों की संख्या कम करवाई। नई कंपनी शुरू करने के लिए अब अधिकांश आवेदनों को ऑनलाइन ही मंजूरी मिल जाती है। साथ ही दिल्ली व मुंबई के नगर निगमों से मिलकर कारोबार से जुड़े कंस्ट्रक्शन काम में दफ्तरों से जुड़े कामकाज को काफी कम कर दिया गया। ऑनलाइन होने से भी काफी असर पड़ा। इसका असर रैंकिंग के इन मानकों पर भी दिखाई पड़ रहा है। आइबीसी का भी असर दिखा। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने न्यू इंसॉल्वेंसी व बैंक्रप्सी कोड (आइबीसी) लागू किया जिसके कई तरह के सकारात्मक असर कारोबार के माहौल पर पड़ने के आसार हैं। इससे कारोबार के लिए कर्ज जुटाना आसान हो गया है और कर्ज देने वालों को यह भरोसा है कि उनका कर्ज डूबेगा नहीं। कंपनी के बंद होने पर उससे कर्ज वसूलना भी पहले से आसान हो गया है। इस कदम ने रैंकिंग सुधारने में मदद की है।
- **छोटे निवेशकों के हित सर्वोपरि:** पिछले दो वर्षो से बाजार नियामक एजेंसी ने माइनॉरिटी निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए कई कदम उठाये हैं। विदेशी निवेशकों के लिए माइनॉरिटी हिस्साधारकों के हित काफी महत्व रखता है। बहरहाल, सेबी का कदम सटीक बैठा है। माइनॉरिटी शेयरधारकों के मामले में रैंकिंग 16 अंकों से सुधरकर चार हो गई है।
- **ऑनलाइन भुगतान में आई तेजी:** नोटबंदी के बाद सरकार की तरफ से देश भर में ऑनलाइन भुगतान को लेकर जो कदम उठाये गये हैं उसने भी रैंकिंग सुधारने में मदद की है। कॉरपोरेट आयकर भुगतान की प्रक्रिया आसान बनाई गई है। भविष्य निधि की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर करने की व्यवस्था की गई है। अब किसी भी तरह के करों के भुगतान में पहले से कम वक्त लगता है। यही वजह है कि कर भुगतान के मामले में भारत की रैंकिंग में 53 स्थानों का सुधार हुआ है।
- **विदेशी कारोबार में सहूलियत:** सरकार की तरफ से मुंबई पोर्ट को बेहतर बनाने से आयातित माल को उतारने में अब पहले से काफी कम समय लगता है। कई तरह की प्रक्रियाएं मोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से पूरी की जा रही है। मर्चेंट ओवरटाइम फीस की समाप्ति से भी सकारात्मक असर पड़ा है। कांट्रेक्ट पर अमल पहले से आसान सरकार की तरफ से राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड बनाने की घोषणा की गई है। इससे स्थानीय कोर्ट में चलने वाले मामलों पर नजर रखना आसान हो गया है। इनके प्रबंधन की अब सटीक व्यवस्था हो सकती है। इस मामले में भारत की रैंकिंग 172 से सुधर कर 164 हुई है। साफ है कि आने वाले दिनों में अभी इस दिशा में और काम करना है।
- **आइबीसी का भी असर दिखा:** पिछले दिनों केंद्र सरकार ने न्यू इंसॉल्वेंसी व बैंक्रप्सी कोड (आइबीसी) लागू किया जिसके कई तरह के सकारात्मक असर कारोबार के माहौल पर पड़ने के आसार हैं। इससे कारोबार के लिए कर्ज जुटाना आसान हो गया है और कर्ज देने वालों को यह भरोसा है कि उनका कर्ज डूबेगा नहीं। कंपनी के बंद होने पर उससे कर्ज वसूलना भी पहले से आसान हो गया है। इस कदम ने रैंकिंग सुधारने में मदद की है।।छोटे निवेशकों के हित सर्वोपरि : पिछले दो वर्षो से बाजार नियामक एजेंसी ने माइनॉरिटी निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए कई कदम उठाये हैं। विदेशी निवेशकों के लिए माइनॉरिटी हिस्साधारकों के हित काफी महत्व रखता है। बहरहाल, सेबी का कदम सटीक बैठा है। माइनॉरिटी शेयरधारकों के मामले में रैंकिंग 16 अंकों से सुधरकर चार हो गई है।
- **कांट्रेक्ट पर अमल पहले से आसान:** सरकार की तरफ से राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड बनाने की घोषणा की गई है। इससे स्थानीय कोर्ट में चलने वाले मामलों पर नजर रखना आसान हो गया है। इनके प्रबंधन की अब सटीक व्यवस्था हो सकती है। इस मामले में भारत की रैंकिंग 172 से सुधर कर 164 हुई है। साफ है कि आने वाले दिनों में अभी इस दिशा में और काम करना है।
- **विश्व बैंक ऐसे करता है रैंकिंग:** दस संकेतकों के आधार पर विश्व बैंक प्रदर्शन का आकलन करके रिपोर्ट जारी करता है। रिपोर्ट की अहमियत इसलिए है क्योंकि इससे देश में व्यवसाय शुरू करने की प्रक्रिया की सरलता का पता चलता है। दस संकेतकों के आधार पर सभी देशों की रैंक तय की जाती है। इनमें बिजली कनेक्शन लेने में वक्त, अनुबंध लागू करना, कारोबार शुरू करना, संपत्ति पंजीकरण, दिवालियेपन के मामले सुलझाना, निर्माण प्रमाणपत्र, कर्ज लेने में लगने वाला समय व अन्य शामिल हैं।

संभावित प्रश्न

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की हालिया सूची में सरकार की ओर से किए गए सुधारों का असर साफ तौर पर देखने को मिला है। इस कथन के सन्दर्भ में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर भारत की मौजूदा रैंकिंग और भावी परिप्रेक्ष्य पर टिप्पणी कीजिये।
In the recent list of ease of Doing Business, the impact of the reforms made by the government has been clearly seen. In relation to this statement, comment on India's current ranking and future perspective on the ease of Doing Business. (200 words)